
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड
द्वारा संचालित योजनाएँ

सेब की अति सघन बागवानी योजना

योजना की अवधि	08 वर्ष (2023–24 से 2030–31)
योजना की कुल लागत	रू0 808.79 करोड़
मुख्य घटक	पौध, ट्रेलिस सिस्टम, घेरबाड़, सूक्ष्म सिंचाई, प्लास्टिक मल्चिंग, एन्टीहेलनेट, उर्वरक आदि।
प्रति एकड़ लागत	• एम–9 — रू0 12.365 लाख • एम.एम.–111 — रू0 7.86 लाख • सीडलिंग — रू0 3.34 लाख
राजसहायता	60 प्रतिशत
स्वरोजगार सृजन (प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष)	45,000 से 50,000
आच्छादन हेतु लक्ष्य	5000 हैक्टेयर





कुल भौतिक प्रगति	522 हैक्टेयर (2025–26 तक)
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार	प्रत्यक्ष — 1769 अप्रत्यक्ष — 4250
2026–27 हेतु लक्ष्य	500 हैक्टेयर

वित्तीय प्रगति (वर्ष 2025–26 तक) — रू0 25.75 करोड़

राज्य में सेब की तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन योजना

योजना की अवधि- 07 वर्ष (2025-26 से 2031-32)
योजना की कुल लागत- रू0 144.55 करोड़

सी0ए0 स्टोर

अनुमन्य लागत- रू0 80,000/मै0टन



अनुमन्य लागत- रू0 80,000/मै0टन

राजसहायता (अधिकतम 1000 मै0टन हेतु)

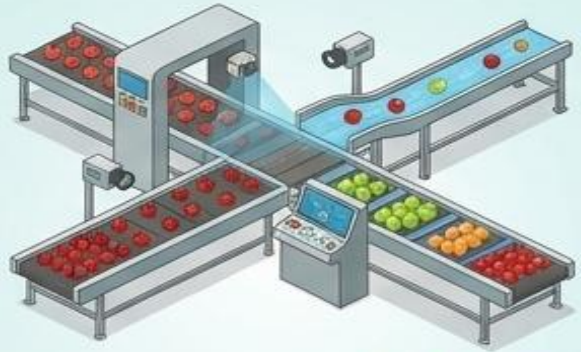
व्यक्तिगत क्षेत्र, पंजीकृत फर्म, पार्टनरशिप फर्म- 50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 400.00 लाख)

समूह- 70 प्रतिशत
(अधिकतम रू0 560.00 लाख)

लक्ष्य- 22 सी0ए0 स्टोर

सोर्टिंग ग्रेडिंग इकाई

पी.एम.एफ.एम.ई. योजनान्तर्गत स्थापित इकाईयों हेतु टॉप-अप
(35 प्रतिशत के अतिरिक्त)



अनुमन्य लागत- रू0 25.00 लाख

व्यक्तिगत क्षेत्र- 15 प्रतिशत
(कुल राजसहायता 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 12.50 लाख)

समूह- 35 प्रतिशत
(कुल राजसहायता 70 प्रतिशत अधिकतम रू0 17.50 लाख)

लक्ष्य - 180 इकाई

रोपवे

ग्रेविटी रोपवे अनुमन्य लागत-
रू0 19.00 लाख/किमी0

मैकेनिकल रोपवे अनुमन्य लागत-
रू0 25.00 लाख/किमी0



मैकेनिकल रोपवे अनुमन्य लागत-
रू0 25.00 लाख/किमी0

व्यक्तिगत क्षेत्र- 50 प्रतिशत

समूह- 70 प्रतिशत

लक्ष्य- 100 किमी0
(ग्रेविटी- 48 किमी0 व मैकेनिकल- 52 किमी0)

राज्य में सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना

लक्ष्य

- 400 एकड़ क्षेत्रफल में पौधशालाओं की स्थापना।

लाभार्थी

- कृषक, स्वामित्व फर्म, पंजीकृत कम्पनी, संयुक्त उद्यम, किसान उत्पादक संगठन, सहकारिता, स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक संस्था आदि।

आवश्यक भूमि

- 0.50 एकड़ से 25 एकड़
  (स्वयं की भूमि अथवा 30 वर्ष की पंजीकृत लीज)

लागत

- रू0 20.00 लाख प्रति एकड़

अनुदान
(तीन किस्तों में)

- 10 एकड़ तक — 50 प्रतिशत
- 10 से 25 एकड़ तक — 40 प्रतिशत

नोटः– प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विज्ञापनों का प्रकाशन करने के साथ–साथ पौधशाला स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

क्रियान्वयन हेतु समितियाँः–

- उच्चाधिकार समिति (मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में)
- राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति (कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में)
- जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति

1.	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
4.	मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
5.	प्रतिनिधि नाबार्ड	सदस्य
6.	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	केवीके के पोमोलॉजिस्ट	सदस्य
8.	प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र	सदस्य
9.	सेब की कृषि करने वाले 02 प्रगतिशील कृषक	सदस्य
10.	सेब उद्योग/व्यवसाय संचालित करने वाले 02 उद्योगपति/व्यवसायी	सदस्य

उत्तराखण्ड कीवी नीति

योजना की अवधि	06 वर्ष (2025–26 से 2030–31)
कुल लागत	रू0 894.00 करोड़
प्रति एकड़ लागत	रू0 12.00 लाख
मुख्य घटक	पौध, ट्रेलिस सिस्टम, घेरबाड़, सूक्ष्म सिंचाई, उर्वरक आदि।
अनुदान	70 प्रतिशत
लक्ष्य	3500 हैक्टेयर
दूरगामी परिणाम	14,000 मै0टन वार्षिक उत्पादन
अनुमानित लाभार्थी	9000 कृषक
2025–26 की प्रगति	लक्ष्य– 100 है0 व पूर्ति–77.36 है0 (549 कृषक)
2026–27 हेतु लक्ष्य	300 हैक्टेयर



वित्तीय प्रगति:– वर्ष 2025–26 में स्थापित बागानों हेतु कृषकों को रू0 16.25 करोड़ अनुदान प्रदान किया जाना है।

ड्रैगन फ्रूट उत्पादन

(मुख्यमंत्री कृषि विकास योजनान्तर्गत)

योजना की अवधि	03 वर्ष (2025–26 से 2027–28)
कुल लागत	रू0 15.00 करोड़
प्रति एकड़ लागत	रू0 8.00 लाख
अनुदान	80 प्रतिशत
लक्ष्य	228 एकड़
दूरगामी परिणाम	350 मै0टन वार्षिक उत्पादन
अनुमानित लाभार्थी	250 कृषक
2025–26 की प्रगति	लक्ष्य — 52 एकड़ प्रगति — 44 एकड़ (52 कृषक)
2026–27 हेतु लक्ष्य	• 76 एकड़





वित्तीय प्रगति:– वर्ष 2025–26 में स्थापित बागानों हेतु कृषकों को रू0 **2.82 करोड़** अनुदान प्रदान किया जाना है।

नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत क्लस्टर अवधारणा अपनाते हुए छोटे पॉलीहाउस स्थापना

पॉलीहाउस का आकार	50 से 100 वर्गमीटर
योजना की कुल लागत	रू0 304.43 करोड़
राजसहायता	80 प्रतिशत
लक्ष्य	14,777 पॉलीहाउस (12.18 लाख वर्गमीटर)
स्थापित पॉलीहाउस	1415 पॉलीहाउस (ब्रेथवेट–342 व पंजीकृत फर्म–1073)
वित्तीय प्रगति	रू0 16.55 करोड़



उत्तराखण्ड मौनपालन नीति

योजना की अवधि 06 वर्ष (2026–27 से 2031–32)

कुल लागत रू0 111.41 करोड़

1.  मौनबॉक्स एवं मौनवंश (80 प्रतिशत अनुदान)
2.  मौनपालन उपकरण किट (80 प्रतिशत अनुदान)
3.  मौनपालन औजार/संयन्त्र (50 प्रतिशत अनुदान)
4.  जी0पी0एस0 ट्रैक्टर, माइग्रेशन, परपरागण, जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण (शतप्रतिशत अनुदान)
5.  मौनकॉलोनी प्रजनन केन्द्र (शतप्रतिशत अनुदान)
6.  क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला व सूक्ष्म प्रयोगशाला (90 प्रतिशत अनुदान)
7.  विपणनः ब्राण्डिंग, पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन (60 प्रतिशत अनुदान)

CM-SAMRIDDHI (CM- Skill Advancement in Modern Rural Innovation for Development of Diversified Horticulture and Integrated Agriculture)

प्रस्तावित लाभार्थी	:-	नवयुवा विशेषकर महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक
प्रस्तावित लक्ष्य	:-	20,000 प्रशिक्षणार्थी (प्रत्येक विकासखण्ड के 200 प्रशिक्षणार्थी)
प्रशिक्षण में सम्मिलित फसलें	:-	औद्यानिक फसलें (फल, सब्जी, मसाला, मशरूम, मौनपालन, चाय) कृषि फसलें (धान्य, दलहन, तिलहन), सुगन्ध एवं औषधीय फसलें, गन्ना, रेशम
प्रशिक्षण में सम्मिलित गतिविधियां:-		कृषिकरण, प्रशिक्षण, संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग व ब्रांडिंग, विपणन, उद्यम संस्थापना
प्रशिक्षण अवधि	:-	05 दिवसीय प्रशिक्षण
प्रशिक्षण की प्रतिदिन दर	:-	रू0 1050/– प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन
आवश्यक धनराशि	:-	रू0 12.50 करोड़
प्रशिक्षण समूह	:-	विकासखण्ड / फसल / गतिविधि के अनुसार आवेदकों का वर्गीकरण करते हुए प्रशिक्षाणार्थियों का समूह गठित किया जायेगा।



राज्य सैक्टर की योजनाएँ

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	2	3	4	5
1	मधुमक्खी पालन	1. फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु 01 है0 क्षेत्र में 04 मौन बक्सों को रखा जाने हेतु परिवहन पर ।	रु0 350 प्रति बॉक्स	04 बॉक्स
		2. मौन बाक्स मौन कालोनियों का वितरण।	50%	रु0 800.00/बैक्स (10 मौनगृह/वंश)
		3. कृषकों को सात दिवसीय प्रशिक्षण		रु0 1050/लाभार्ती
2	उद्यानों की घेरबाड़ की योजना	जंगली जानवरों के बचाव हेतु उद्यानों की घेरबाड़ हेतु राजसहायता।	50%	रू0 100000/है0
3	बाजार हस्तक्षेप योजना	उद्यानपतियों से सी ग्रेड सेब, नाशपाती, माल्टा, गलगल आदि के सर्मथन मूल्य पर क्रय की व्यवस्था	लाभ/हानि रहित	शासन से निर्धारित दरो के अनुसार

राज्य सैक्टर की योजनाएँ

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	2	3	4	5
4	मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना	1. मशरुम उत्पादकों को पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट उपलब्ध कराना	50%	50 कुन्तल प्रति लाभार्थी
		2. स्पान (बीज) वितरण	50%	25 किग्रा स्पान प्रति लाभार्थी
		3. 07 दिवसीय प्रशिक्षण	सत प्रतिशत	1050/लाभार्थी
5	फसल बीमा योजना	औद्यानिक फसलों–सेब, आम, आड़ू, माल्टा, लीची, टमाटर, अदरक, आलू, फ्रैंचबीन एवं मिर्च का मौसम आधारित बीमा कराना।	प्रीमियम का 50%	कृषकों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का 5 प्रतिशत
6	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी एवं मसाला उत्पादन की योजना	सब्जी एवं मसाला की खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन	निःशुल्क	0.1 है0 एवं रू0 300/प्रति फसल

राज्य सैक्टर की योजनाएँ

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	2	3	4	5
7	मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में 30 प्रतिशत राज्यांश	पालीहाउस के अन्दर सब्जी एवं पुष्पों का उत्पादन करने पर 80% रा0स0 500 वर्ग मीटर अधिकतम पर	(50% केन्द्रांश बागवानी मिशन + 30% राज्यांश)	रु0 609.50 रु0 365.70
8	बोरबैल स्थापना की योजना	सिंचाई सुविधा हेतु कृषकों को बोरवैल स्थापना हेतु सहायता। (रू0 75,000/ केन्द्रांश + रू0 25,000/ राज्यांश प्रति इकाई)	रु0 1.0 लाख प्रति इकाई	01 इकाई

राज्य सैक्टर की योजनाएँ

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	2	3	4	5
9	पालीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना	कृषकों के पॉच वर्ष से अधिक पुराने पालीहाउस की जीर्ण–शीर्ण पालीथीन बदलने हेतु सहायता	पॉलीथीन लागत रू0 50/वर्गमीटर का 75%	4000 वर्ग मीटर पर रू0 1.5 लाख
10	पौधरोपण की योजना	सरकारी आवासों, कार्यालयों, स्कूलों, कृषकों आदि को निःशुल्क फलपौध वितरण	शतप्रतिशत	कृषकों को 05 पौधे एवं राजकीय संस्थानों पर 50 पौधे तक
11	वर्मीकम्पोस्ट की योजना	वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण हेतु बागवानी मिशन योजनान्तर्गत 25% अतिरिक्त राज्यांश अनुदान दिया जाना (50% केन्द्रांश + 25% राज्यांश)	रू0 1.00 लाख प्रति इकाई का 75%	–
12	एन्टी हेलनेट की योजना	कृषकों/उद्यानपतियों की फसलों को ओलावृष्टि से बचाव हेतु एण्टी हेलनेट के क्रय हेतु बागवानी मिशन योजनान्तर्गत 25% अतिरिक्त राज्यांश अनुदान दिया जाना (50% केन्द्रांश + 25% राज्यांश)	रू0 35.00 प्रति वर्गमीटर का 75%	5,000 वर्गमीटर के0र0 रू0 17.50 राज्यांश रू0 8.75

राज्य सैक्टर की योजनाएँ

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	2	3	4	5
13	फल पौधशालाओं की स्थापना	राज्य में छोटी (0.2 है0 से 1.0 है0 तक) नयी फल पौधशालाओं की स्थापना	रू0 15 लाख प्रति है0 का 50%	1.0 है0 हेतु राजसहायता रु0 7.50 लाख। छोटी पौधशाला हेतु अनुपातिक राजसहायता
14	जैविक बागवानी की खेती योजना	जनपद पिथौरागढ़ व चमोली में पायलट आधार पर जैविक बागवानी को बढ़ावा देना	रु0 20,000 प्रति है0 का 50%	प्रति है0 रू0 10,000 अधिकतम
15	अखरोट एवं अन्य गिरीदार फलों के सर्वांगीण विकास हेतु मिशन	राज्य में अखरोट, बादाम तथा पिकननट की खेती को बढ़ावा देने हेतु पौधशालाओं की स्थापना व क्षेत्रफल विस्तार हेतु राज सहायता उपलब्ध कराना (0.2 से 1 है0 तक)	व्यक्तिगत क्षेत्रों हेतु रु0 15 लाख प्रति है0 का 50% एवं राजकीय क्षेत्रों हेतु 100% तथा क्षेत्रफल विस्तार हेतु रु0 60000 प्रति है0	1.0 है0 हेतु रा0स0 रु0 7.50 लाख। अधिकतम क्षेत्रफल विस्तार पर रू0 30,000

राज्य सैक्टर की योजनाएँ

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	2	3	4	5
16	मृदा प्रयोगशाला एवं परीक्षण कार्य की योजना	चौबटिया एवं श्रीनगर में मृदा प्रयोगशाला में कृषकों के भूमि के मृदा सैंपल का परीक्षण उपरान्त भूमि के मुख्य एवं सूक्ष्म तत्वों की कमी/अधिकता का आंकलन करना तथा आवश्यक खाद, उर्वरकों की संस्तुति करना।	राज्य सैक्टर में शतप्रतिशत	मृदा परीक्षण शुल्क प्रति सैंपल रु0 7 मुख्य तत्वों हेतु एव रु0 63 सूक्ष्म तत्वों हेतु कृषकों से लिया जायेगा
17	मसाला मिर्च को प्रोत्साहन देने हेतु योजना	प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त मसाला मिर्च (लाल मिर्च) की खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को उनकी निजी भूमि पर उत्पादन करने पर प्रोत्साहन राशि देना।	प्रोत्साहन राशि रु0 700 प्रति कु0	रू0 7 प्रति किलोग्राम
18	वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना करना तथा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों को रोजगार मुहैया कराना	रु0 33,300 प्रति इकाई की लागत का 75%	-

राज्य सैक्टर की योजनाएँ

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता
1	2	3	4
19	मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास (वर्ष 2020–21 से प्रारम्भ)	औद्यानिक फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि करना। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम सम्मिलित हैं:–	
		फल पौध, खुले क्षेत्र हेतु सब्जी बीज, मसाला बीज, पुष्प बीजों पर कृषकों को 50 प्रतिशत सहायता।	50% सहायता
		कीट व्याधिनाशक रसायनों आदि पर कृषकों को 60 प्रतिशत सहायता।	60% सहायता
		कूल हाउस (क्षमता–30 मै0टन) पर कुल लागत रू0 15.00 लाख का 50 प्रतिशत सहायता कृषक समूह आदि को	50% सहायता
		रैफ्रिजरेटेड वैन (क्षमता–9 मै0टन) पर कुल लागत रू0 26.00 लाख का 50 प्रतिशत सहायता कृषक समूह आदि को	50% सहायता

जिला सैक्टर की योजनाएँ

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	2	3	4	5
1	उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन/पौधालय विकास।	1. फल, पौध, सब्जी, बीज, आलू बीज के परिवहन पर राजसहायता	शत प्रतिशत	आवश्यकतानुसार
		2. नये उद्यानों की स्थापना हेतु पौध एवं निवेश वितरण	50%	रु0 20000 प्रति है0
		3. पौध सुरक्षा हेतु दवाईयों का वितरण	60%	रु0 5000 प्रति है0
		4. कुरमुला कीट नियन्त्रण	60%	रू0 1800 प्रति है0
		5. औद्यानिक औजार वितरण	50%	रू0 1200/यन्त्र तक
		6. सिंचाई हेतु 3x2x1.5 मीटर आकार का रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	रु0 24,500 प्रति इकाई का 50%	रु0 12250 प्रति टैंक

जिला सैक्टर की योजनाएँ

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	2	3	4	5
2	फल सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना	फल सब्जियों को बाजार में समुचित मूल्य दिलाने हेतु प्लास्टिक क्रेट्स, किल्टे, पैकिंग हेतु बाक्स उपलब्ध कराना आदि	50%	अधिकतम 10 प्रति लाभार्थी
		फल सब्जियों का प्रसंस्करण	लाभ–हानि रहित	फल सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु रू0 15/– प्रति किग्रा0
		मिर्च उत्पादक (20 नाली में मिर्च उत्पादन करने वाले) को काली पॉलीथीन उपलब्ध कराना	50%	200 वर्गफीट उपयुक्त गेज की पॉलीथीन
		फल व सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु विभागीय फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा 07 दिवसीय प्रशिक्षण	शतप्रतिशत	07 दिवसीय प्रशिक्षण पर रू0 350/– प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय तथा अवशेष धनराशि रू0 700/– सीधे प्रशिक्षणार्थी के खाते में डाला जायेगा।

जिला सैक्टर की योजनाएँ

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	2	3	4	5
3	प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास	1. उद्यान विकास–व्यक्तिगत उद्यानों की स्थापना हेतु पौध व निवेश वितरण	50%	प्रति लाभार्थी 0.2 है0 से 2.0 है0 तक अधिकतम रु0 30,000 प्रति है0
		2. आलू विकास/उत्पादन हेतु बीज व निवेश वितरण	50%	प्रति लाभार्थी 0.1 है0 से 1.0 है0 तक अधिकतम मैदानी क्षेत्र – रु0 25,000/है0 पर्वतीय क्षेत्र – रु0 40,000/है0

बागवानी मिशन योजनान्तर्गत औद्यानिकी के समग्र विकास हेतु सम्मिलित गतिविधियाँ

1	 उच्च गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री का उत्पादन	• राजकीय एवं व्यक्तिगत क्षेत्र (50%) में हाईटैक व छोटी पौधशालाओं की स्थापना
2	 उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि	• क्षेत्रफल विस्तार (फल, सब्जी, मसाला, पुष्प) – 50%
3	 पुराने अनुत्पादक बागानों	• पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार – 50%
4	 सिंचाई व्यवस्था	• ट्यूबवैल व पौण्ड निर्माण – 50%
5	 संरक्षित खेती हेतु	• पॉलीहाउस, शैडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, एन्टी हेल नेट – 50%
6	 औद्यानिक यन्त्रीकरण	• ट्रैक्टर, पावर टिलर व स्वचालित यन्त्रों का वितरण – 50%
7	 मशरूम उत्पादन	• मशरूम उत्पादन इकाई, कम्पोस्ट उत्पादन इकाई व स्पॉन लैब की स्थापना – 50%
8	 तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	• पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, सी0ए0 स्टोरेज, राइपनिंग चैम्बर, रिफरवैन इत्यादि – 50%
9	 विपणन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	• ग्रेडिंग, पैकिंग, सोर्टिंग इकाई व अन्य अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना – 50% से 55%
10	 खाद्य प्रसंस्करण	• खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना – 50%

केन्द्रीय योजना – राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत Per Drop More Crop

प्रति हैक्टेयर अनुमन्य लागत



ड्रिप सिंचाई:– रू0 **27158** से रू0 **158489** तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)



पोर्टबल स्प्रिंकलर:– रू0 **24427.50** से रू0 **27376.25** तक (63 मिमि. से 90 मिमि. तक)



माइक्रो स्प्रिंकलर:– रू0 **73665** से रू0 **84026** तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)



मिनी स्प्रिंकलर:– रू0 **106515** से रू0 **117535** तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)



रेनगन:– रू0 **35851** से रू0 **43141** तक (63 मिमि. से 90 मिमि. तक)

राजसहायता (अधिकतम सीमा 05 है0)



सामान्य कृषक:– **45 प्रतिशत**



लघु/सीमान्त कृषक:– **55 प्रतिशत**

नोट:– राज्य सरकार द्वारा **25** प्रतिशत अनुदान को सम्मिलित करते हुए **80** से **90** प्रतिशत राजसहायता।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)

योजना की अवधि

06 वर्ष 06 माह (वर्ष 2020-21 से 30.09.2026)

सूक्ष्म खाद्य उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य

1758

प्रदत्त राजसहायता

मैदानी क्षेत्रों हेतु

35% या अधिकतम रू0 **10.00** लाख



पर्वतीय क्षेत्रों हेतु

65% या अधिकतम रू0 **15.00** लाख
(CMFME योजनान्तर्गत 25% अतिरिक्त राजसहायता)



लाभार्थी की न्यूनतम अनिवार्य हिस्सेदारी | 10 प्रतिशत

धन्यवाद